

(ख) आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न है (निम्नलिखित में से कोई एक)

(i) जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज $\wedge$:- (इनमें से कोई एक)

1. ☐ सक्षम स्थानीय निकाय / नगरपालिका प्राधिकरण / जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
2. ☐ आधार कार्ड
3. ☐ पैन कार्ड
4. ☐ चालन अनुज्ञप्ति
5. ☐ सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10
6. ☐ भारतीय पासपोर्ट

या कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, यदि इसमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है।

(ii) जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :- (यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(क) वर्तमान साधारण निवास (पूरा पता)	मकान/भवन/अपार्टमेंट सं०	गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र/मोहल्ला/रोड
	नगर/गाँव	डाक घर
	पिन कोड	तहसील/तालुका/मंडल
	जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित हैं, में से किसी एक के नाम में पते की स्वः प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज $\wedge$:- (इनमें से कोई एक)

1. ☐ उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का)
2. ☐ आधार कार्ड
3. ☐ राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक
4. ☐ भारतीय पासपोर्ट
5. ☐ राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है
6. ☐ रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)
7. ☐ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :-

(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

.....

(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ चलित्र ☐ दृष्टि ☐ मूक-बधिर

यदि कोई और हो (वर्णन करें)

दिव्यांगता का प्रतिशत % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

परिवार के सदस्य का नाम :

आवेदक के साथ संबंध :

उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं० :

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, -

- (i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है ग्राम/शहर
..... जिला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
- (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्णन करें) से
मामूली तौर से निवासी हूँ।
- (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (iv) मेरे पास ऊपर 7ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः, मैंने आयु सबूत
के समर्थन में (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।
- (v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या
विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा
31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक
दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का
निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पण -

*	विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
^	उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।
#	उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य है, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

✍

आवेदन के लिए अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति संख्या : तारीख

श्री/श्रीमती/सुश्री का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, -

- (i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है ग्राम/शहर
..... जिला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
- (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्णन करें) से
मामूली तौर से निवासी हूँ।
- (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (iv) मेरे पास ऊपर 7ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः, मैंने आयु सबूत
के समर्थन में (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।
- (v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या
विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा
31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक
दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का
निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पण -

*	विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
^	उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।
#	उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य है, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

✂

आवेदन के लिए अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति संख्या : तारीख

श्री/श्रीमती/सुश्री का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्राप्ति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/ईईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

प्ररूप 6 आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. सामान्य अनुदेश :-

- (क) आवेदन, ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी)/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित किए जाएंगे, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। यदि आवेदक सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नहीं जानता है या उसे कोई शंका है, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी और आवेदन को केवल सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लिखित न किए जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।
- (ख) आवेदक, अंग्रेजी या हिन्दी में आवेदन की प्रविष्टियां भर सकता है और यह आवेदन को रद्द किए जाने का आधार नहीं होगा।
- (ग) किसी शांत स्टेशन पर उसके पदस्थापन के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी अन्य निर्वाचक क्षेत्र में सेवारत मतदाता या साधारण निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित न हो।
- * (घ) फोटो : सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली, रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) की नवीनतम अहस्ताक्षरित फोटो दिए गए स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। आंखें खुली होनी चाहिए और चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
- (ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी):ईपीआईसी, नामांकन के पश्चात, समुचित पावती के साथ बिना किसी लागत के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए डाक पते पर परिदत्त किया जाएगा।

2. **मद (1)* (नाम) :** सही नाम और वर्तनी, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि केवल एक भाषा में भरा गया है तो प्रणाली स्वतः ही अन्य भाषा में लिप्यन्तरण करेगी, जिससे वर्तनी में त्रुटियां हो सकती हैं।

3. **मद (2क) और मद (2ख) * (नातेदार का नाम और उपनाम) :** विवाहित महिला आवेदक की दशा में, अधिमानतः उसके पति का नाम उल्लेखित किया जा सकेगा। (स्तंभ में लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।)

4. **मद (5) आधार के ब्यौरे :** प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5(ख) पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।

5. **मद (6) (लिंग) :**

- * (क) लिंग के लिए उपबंधित समुचित बॉक्स में स्पष्ट रूप से 'पुरुष' / 'स्त्री' / 'तृतीय लिंग' चिह्नित किया जाना चाहिए।
- (ख) तृतीय लिंग से संबंधित आवेदक, अपने लिंग को 'पुरुष' के रूप में या 'स्त्री' के रूप में या 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकेगा।

6. **मद (7) (क) (ख) (जन्म तारीख) :**

- * (क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। प्रमुख दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना त्वरित रजिस्ट्रीकरण और सेवाओं के परिदान को सुनिश्चित करेगा।
- (ख) यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहिए; और उक्त दस्तावेज का नाम प्ररूप के भाग 'घोषणा' की मद 7 (ii) और मद (iv) में उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक को सत्यापन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या किसी अन्य पदाभिहित ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

7. **मद (8) (वर्तमान साधारण निवास) :**

- * (क) साधारण निवास के सबूत के रूप में आवेदक/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वःप्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- (ख) शेड/फुटपाथों पर निवास करने वाले गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सेक्स वर्कर, जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा, यदि वे नामांकन के लिए अन्यथा योग्य हों।
- (ग) विद्यार्थी, जो नामांकन के लिए योग्य हो, या तो अपने माता-पिता या ऐसे हॉस्टल/मैस के स्थान पर, जहाँ वे साधारणतया निवास करते हैं, नामांकन करा सकते हैं।

8. * **घोषणा :** "घोषणा" भाग की सभी प्रविष्टियां सभी तरह से पूरी होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

घोषणा पत्र

(नए मतदाता के रूप में नामांकन/राज्य के बाहर से स्थानांतरण के लिए-फॉर्म 6/फॉर्म 8 के साथ जमा करना होगा)

आवेदक का नाम :

मोबाइल नंबर :

पता :

.....

पिछले एसआईआर मतदाता सूची में मतदाता का विवरण (यदि लागू हो)			पिछले एसआईआर में रिश्तेदार का विवरण, जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है।		
मतदाता का नाम:			मतदाता का नाम:		
ईपीआईसी संख्या (यदि उपलब्ध हो)			ईपीआईसी संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
रिश्तेदार का नाम:			रिश्तेदार का नाम:		
रिश्ता :			रिश्ता :		
जिला:			जिला:		
राज्य:			राज्य:		
विधान सभा क्षेत्र का नाम :			विधान सभा क्षेत्र का नाम :		
विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या	भाग संख्या	क्रम संख्या	विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या	भाग संख्या	क्रम संख्या

पिता/अभिभावक का नाम	
पिता/अभिभावक ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)	
माता का नाम	
माता का ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)	
पति/पत्नी का नाम (यदि लागू हो)	
पति/पत्नी का ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)	

- (i) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।
- (ii) मैं प्रपत्र 6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। ☐

या

मैं स्थानांतरण के कारण प्रपत्र 8 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ☐

- (iii) मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो कि असत्य है और जिसे मैं मानता/मानती हूँ कि वह असत्य है या सत्य नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के तहत दंडनीय है। जिसके तहत एक वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

मतदाता का हस्ताक्षर/बाएँ अंगूठे का निशान और तिथि

बीएलओ का वचन: मैंने उपरोक्त विवरणों को पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है।

बीएलओ का हस्ताक्षर
बीएलओ का नाम और फ़ोन नंबर

घोषणा पत्र के लिए सूचना पत्र

आवेदक अपना नाम और संबंधित रिश्तेदार/रिश्तेदारों का नाम पिछली एसआईआर मतदाता सूची में <https://voters.eci.gov.in/> पर देख सकते हैं और घोषणा पत्र में विवरण भर सकते हैं। सहायता के लिए, आवेदक संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। ईआरओ उन आवेदकों को नोटिस जारी करेगा जिनके घोषणा पत्र में दी गई पिछली एसआईआर मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

- यदि आपका जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है

- * नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।

- यदि आपका जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है

- * नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
- * नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।

- यदि आपका जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है

- * नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
- * नीचे दी गई सूची में से पिता के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
- * नीचे दी गई सूची में से माता के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
- * यदि आपके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है, तो जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति प्रदान करें।

- यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है (विदेश में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें)।
- यदि आपने पंजीकरण/देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

दस्तावेजों की सांकेतिक (पूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लेख किया गया है तो स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करने होंगे):

1. किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी मौजूद हो)
10. सरकार द्वारा अनुरक्षित परिवार रजिस्टर किसी भी कानून/प्रशासनिक विनियम के अधीन अधिकारी
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
12. आधार कार्ड के लिए, आयोग द्वारा पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक-II) के माध्यम से जारी निर्देश लागू होंगे।
